कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.)

Phone No. – 07749-223970, Email - Balod.cg@gov.in

//आदेश//

क्रमांक/4339/एस.डब्ल्यू/2020 बालोद, दिनांक 04 जुलाई 2020

इस कार्यालय के आदेश कमांक/3449/एस.डब्लू./2020 बालोद दिनांक 04.06.2020, द्वारा **स्कूल परिसर ग्राम–भोथली**, तहसील व जिला–बालोद के निर्धारित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित किया गया था। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद का पत्र कमांक/2747/प्र.2/अ.वि.अ./2020 बालोद, दिनांक 02.07.2020 के प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान में ग्राम–**भोथली** के सभी कंटेनमेंट जोन की 28 दिन की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं कन्टेंमेंट क्षेत्र के एक्टिव सर्विलेंस रिपोर्ट अनुसार **भोथली** में कोरोना पॉजिटीव व्यक्ति के प्राथमिक संपर्क में आये व्यक्तियों को भोथली के ही क्वारेंटाइन सेन्टर में रखा गया था, जिनकी जॉच रिपोर्ट भी निगेटिव है। उपचार पश्चात् पॉजिटीव व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होकर वापस लौट चुका है। ग्राम–भोथली के समस्त घरों का सर्वे किया गया, जिसमें कोरोना संबंधी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिये है, जिसके कारण तहसील बालोद, क्षेत्र अंतर्गत स्कूल परिसर ग्राम–भोथली में कंटेनमेंट जोन तथा गांव के 03 कि.मी. की परिधि से बफर जोन समाप्त किया जा सकता है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद के प्रस्ताव के आधार पर **स्कूल परिसर ग्राम–भोथली**, तहसील बालोद जिला–बालोद में निर्धारित क्षेत्र में घोषित कंटेनमेंट जोन को दिनांक 03.07.2020 की मध्यरात्रि से खोले जाने का आदेश जारी किया जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

4/7/2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

पृष्ठ क्रमांक/4339/एस.डब्ल्यू/2020 बालोद, दिनांक 04 जुलाई 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन गृह विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक जिला–बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

66 |SW/Deepak/Balod/2020

Scanned with CamScanner

7. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. जिला सूचना अधिकारी बालोद को शासन द्वारा निर्धारित वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
12. उपसंचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
13. तहसीलदार सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पा.प. बालोद/दल्लीराजहरा एवं न.पं /गुरूर/गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. स्टेनो टू–कलेक्टर जिला बालोद को सूचनार्थ।
17. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
18. कार्यालयीन प्रति।

कलेक्टर 4/7/2021
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner